

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा

5054-SHW योजना के तहत जिला बारां में कवाई-सालपुर (कोटा) से धरनावदा SH-51 सड़क कि.मी. 111/0 से 157/525 तक सड़क निर्माण हेतु 13.558 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेब पोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6979/2014 को इस खण्ड के द्वारा प्रस्ताव को रजिस्टर किया गया था। जिसे आपके द्वारा प्रस्ताव में आक्षेप लगाकर लौटा दिया गया था। उक्त प्रस्ताव की कमियों को निम्नानुसार दुरस्त कराकर उन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।-

1. इस विभाग के द्वारा पूर्व में जिन परियोजनाओं का वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया था उनका हवाला प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. A-2(xiii) एवं B-1(i) में "Yes" अंकित कर दुरस्त कर दिया गया है, बिन्दु सं. बिन्दु संख्या A-2(xiii) एवं B-1(i) में सम्पूर्ण विवरण दे दिया गया है।

2. प्रस्ताव के बिन्दु सं. A-2(i) में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम का उल्लेख कर दिया गया है।

3. प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. K-(i) में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सम्पूर्ण प्रक्रिया के सम्पन्न किये जाने के क्रम में "Yes" अंकित कर दिया गया है इस क्रम में भारत सरकार के परिपत्र 11-9/1998-एफ.सी. (Pt) दिनांक 3.8.09 एवं दिनांक 5.7.2013 द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के तहत जिला कलक्टरों द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्रों एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड कर दिया गया है।

4. बिन्दु सं. L-(iv)(c) पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के क्रम में चयनित गैर वन भूमि की अपलोड की गई kml फाईल में चयनित गैर वन भूमि की सीमाओं को पूर्णतः दर्शा दिया गया है। अपलोड की गई kml फाईल में चयनित गैर वन भूमि के आस-पास के वन क्षेत्र/सीमाओं को भी स्पष्टतः मय संकेतक दर्शा दिया गया है

5. बिन्दु सं. L-(iv-f,g &h) को दुरस्त करवाकर दस्तावेज अपलोड किये गये हैं।

6. ऑनलाईन आवेदन पत्र के अन्त में Additional Information Details पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण रिमार्क्स में दे दिया है।

7. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा चाही गयी शर्तानुसार इस विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, नैट प्रैजेन्ट वैल्यु एवं अधिरोपित शर्तानुसार अन्य राशियां को भी जमा कराया जाना है। इस क्रम में चाहे गये शपथ पत्र (Undertakings) को विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कर अपलोड करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां, प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट, वन क्षेत्र में सड़क निर्माण की लम्बाई व चौड़ाई का खसरा-वार पूर्ण विवरण, वांछित न्यूनतम वन भूमि की आवश्यकता का प्रमाण पत्र, बार चार्ट जिसमें परियोजना से प्रभावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि को अलग-अलग रंगों में मय संकेतक दर्शाया गया है एवं परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां जो वन भूमि प्रत्यावर्तन में सहायक है को भी अपलोड कर दिया गया है।



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड छबड़ा